



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022024-251761
CG-DL-E-03022024-251761

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2024/माघ 13, 1945

No. 420]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024/MAGHA 13, 1945

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2024

का.आ. 448(अ).—केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) नियमावली, 1976 के नियम 10 के उप-नियम 4 के अनुसरण में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधीनस्थ “उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, चंडीगढ़” को, ऐसे कार्यालय के रूप में, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

[फा. सं. ई/6/2020-हिन्दी अनुभाग]

ए. धनलक्ष्मी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(Department of Science and Technology)
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2024

S.O. 448(E).—In pursuance of Sub-Rule 4 of Rule 10 of the Official Language Rules 1976 (For Official Purposes of the Union), the Central Government notifies “Northern Zone Office, Survey of India, Chandigarh” subordinate office of Survey of India under the Department of Science & Technology, as an office where more than 80 percent of officers/officials have attained working knowledge of Hindi.

[F. No. E/6/2020-Hindi Section]

A. DHANALAKSHMI Jt. Secy.